राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांकः प.17(10) नविवि/नियम/2019पार्ट–1 दिनांक 02 AUG 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 182 सपठित धारा 337 की उप–धारा (2) के खण्ड (xxxiv) एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम से 35) की धारा 73–ख एवं 74 की उप–धारा (1) के खण्ड (पी) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1992 का अधिनियम स. 25) की धारा 25, 30, 40, 65 का खण्ड (सी) तथा 95, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) तथा 91, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) तथा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 74 की उप–धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से यह आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि इन संशोधन नियमों को तुरन्त प्रवृत किया जाना चाहिए, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत होगें।

2. नियम 13 का संशोधन.– राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम 2010, के नियम 13 के उप–नियम (1) की तालिका के विद्यमान क्रम संख्या 2 एवं उसकी प्रविष्टियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"

2.	मिश्रित	व्यवसायिक	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		आवासीय	10 प्रतिशत	5 प्रतिशत
		संस्थानिक		
		औद्योगिक		
		पर्यटन सुविधाएँ		
		उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट भू–उपयोग		

"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,-प्रथम